11–01–2017

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध है।

अभियुक्त की तरफ से यह कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा इस स्तर पर प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया ही विचार किया जाना होता है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में आरोप विरचित किये जाते है।

अभियुक्त पर आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये, उन्होनें आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की। पत्रावली दिनांक 23–02–2017 को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। साक्षीगण की उपस्थिति हेतु समन जारी हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–II
गौतमबुद्धनगर